पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1435 / अका. / का.प. / 2009 रायपुर, दिनांक 24 / 09 / 2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11.09.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

1	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	--	अध्यक्ष
2.	प्रो. बंशीलाल खण्डेलवाल	--	सदस्य
3.	प्रो एस.के. सिंह	--	सदस्य
4.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	--	सदस्य
5.	डॉ. एस.जे. केकरे	--	सदस्य
6.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	--	सदस्य
7.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	--	सदस्य
8.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	--	सदस्य
9.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	--	सदस्य
10.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	--	सदस्य
11.	श्री देवजी भाई पटेल	--	सदस्य
12.	श्री रामजी भारती	--	सदस्य
13.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	--	सदस्य
14.	डॉ. शिव कुमार डहरिया	--	सदस्य
15.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	--	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए ;-

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 07.08.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.08.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई तथा परीक्षा कार्यों से प्रतिबंधित शिक्षकों की सूची प्रस्तुत कर समीक्षा हेतु, डॉ. एस.जे. केकरे का पत्र आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

2. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.08.2009, 08.08.2009, 20.08.2009 एवं 02.09.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.08.2009, 08.08.2009, 20.08.2009 एवं 02.09.2009 के कार्यवृत्त को कार्यपरिषद् के द्वारा अनुमोदित किया गया।

3. विश्वविद्यालय के निलम्बित शिक्षकों, अधिकारियों प्रो. के.एस. पटेल डॉ. मनीष रॉय एवं डॉ. बी.पी. साहू को जाँच अधिकारी द्वारा दोषी पाया गया है, के प्रकरण में प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने पर विचार किया गया।

निर्णय : विश्वविद्यालय के निलम्बित शिक्षकों डॉ. के.एस. पटेल एवं डॉ. मनीष राय को विभागीय जाँच में जाँच अधिकारी द्वारा दोषी पाया गया था। दोनों ही शिक्षकों के प्रकरण पर प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही हेतु कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा विचार करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि –

(अ) डॉ. के.एस. पटेल द्वारा पूर्व की भाँति बिना अवकाश स्वीकृति विदेश यात्रा पर चले जाने पर उनकी निंदा की गई तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने और पुनरावृत्ति होने की स्थिति में कठोर दण्ड दिये जाने की चेतावनी के साथ डॉ. के. एस. पटेल को बहाल करने का निर्णय लिया गया। डॉ. पटेल को निलम्बन अवधि में दिये राशि/स्वत्वों के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा। उनकी निलम्बर अवधि पेंशन के लिये अर्हता सेवा मानी जावे।

(ब) डॉ. मनीष राय की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाय तथा उन्हें निलम्बन अवधि में दिये राशि/स्वत्वों के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा। उनकी निलम्बर अवधि पेंशन के लिये अर्हता सेवा मानी जावे, निर्णय के साथ सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया गया।

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित गतिविधि कार्यक्रम वर्ष 2009–10 हेतु अग्रिम अनुदान राशि रू. 14,13,036/– (चौदह लाख तेरह हजार छत्तीस रूपये) स्वीकृत करने पर विचार किया गया।

निर्णय : मान्य किया गया।

5. मुख्य उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या में वृद्धि किये जाने के संबंध में गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विचार किया गया।

निर्णय : मुख्य उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या में वृद्धि किये जाने के संबंध में गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पूर्व की भाँति मुख्य उत्तर पुस्तिका 24 पृष्ठों तथा पूरक उत्तर पुस्तिका 16 पृष्ठों की होगी।

6. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त अनुदान से परीक्षा विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने पर विचार किया गया।

निर्णय : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त अनुदान से परीक्षा विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव को कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उपकुलसचिव (गोपनीय) भी इसमें सदस्य होंगे।

7. अधिवक्ता श्री मनोज कुमार दुबे को स्टेंडिंग कौंसिल की पैनल में नियुक्त करने पर विचार किया गया।

निर्णय : अधिवक्ता श्री मनोज कुमार दुबे को स्टेंडिंग कौंसिल की पैनल में नियुक्त करने के प्रस्ताव को कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। स्टेंडिंग कौंसिल के अधिवक्ता श्री विनय पाण्डे और श्री मनोज कुमार दुबे को रूपये 10,000/– प्रतिमाह भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

8. भू–विज्ञान अध्ययनशाला हेतु इंस्ट्रूमेंट क्रय करने के लिए 2,12,040/– विकास मद से भुगतान करने हेतु स्वीकृति के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय : भू–विज्ञान अध्ययनशाला हेतु इंस्ट्रूमेंट क्रय करने के लिए 2,12,040/– विकास मद से भुगतान करने के प्रस्ताव को कार्यपरिषद् द्वारा मान्य किया गया।

पूरक विषय सूची

1. विभिन्न आवेदन पत्रों के फार्म के मूल्य में वृद्धि किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : वर्तमान में कागज एवं मुद्रण की कीमतों में वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय किये जाने वाले विभिन्न आवेदन फार्म के मूल्यों में कालम (04) में दर्शाये अनुसार वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया –

क्र.	आवेदन फार्म का नाम	वर्तमान कीमत	प्रस्तावित कीमत
I	II	III	IV
01.	डिग्री हेतु आवेदन फार्म	05/–	10/–
02.	पात्रता माईग्रेशन हेतु आवेदन फार्म	05/–	10/–
03.	नामांकन हेतु आवेदन फार्म	10/–	50/–
04.	पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन	15/– 10/–	20/–
05.	परीक्षा आवेदन फार्म	25/–	50/–

2. डॉ. ओ.पी. व्यास, प्रोफेसर, कम्प्यूटर अध्ययनशाला के प्रोफेसर पद से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय : डॉ. ओ.पी. व्यास प्रोफेसर, कम्प्यूटर अध्ययनशाला के प्रोफेसर पद से त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाने की सूचना कार्यपरिषद् में ग्रहण की गई तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉ. व्यास के विरूद्ध विभिन्न जाँच इकाईयों द्वारा चल रहे जाँच और न्यायालय में लम्बित प्रकरणों पर निर्णय होते तक उनके स्वत्वों का भुगतान नहीं किया जाय।

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक /बी.एड्./काउंसिलिंग/2009–10/3123 दिनांक 07.09.2009 पर विचार किया गया।

निर्णय : संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर के उक्त पत्र जिसमें पतंजलि शिक्षा समिति द्वारा संचालित भिलाई कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी दुर्ग 36/31, मेन रोड नेहरू नगर, भिलाई जिला– दुर्ग में बी.एड्. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कार्यपरिषद् द्वारा विचार करते हुए यह मान्य किया गया कि NCTE/SCERT दिनांक 09.09.2009 के निर्णय को मान्य किया जाये।

4. श्री कुलदीप सिंग जूनेजा, विधायक एवं कार्यपरिषद् सदस्य का पत्र क्रमांक अति आव. /वि.वि./ कार्य./02/09 दिनांक 0.09.2009 में उठाये गये प्रश्नों पर वस्तुस्थिति की जानकारी एवं विचारार्थ।

निर्णय : श्री कुलदीप सिंग जूनेजा, विधायक एवं कार्यपरिषद् सदस्य के पत्र पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि उच्च, शिक्षा विभाग से दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर, प्रकरण कार्यपरिषद् की अगली बैठक में रखा जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में शिक्षकों की संविदा नियुक्ति हेतु तैयार किये गये संविदा भर्ती नियम के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय : विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं हेतु शिक्षकों की संविदा नियुक्ति हेतु तैयार किये गये संविदा भर्ती नियमों का अनुमोदन किया गया।

2. छठवें वेतनमान के प्रथम किश्त एरियर्स की राशि कर्मचारियों को भुगतान करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि छठवें वेतनमान के प्रथम किश्त एरियर्स की राशि की पूर्ण जानकारी अगली बैठक में रखे।

3. चक्रानुक्रम में विभागाध्यक्ष नियुक्ति के संबंध में संशोधित विनियम पर विचार किया गया।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

4. विश्वविद्यालय के निलंबित सहायक यंत्री श्री बी.पी. भंवर के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच पश्चात् जाँच अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय : यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

5. के.डी. कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के ऊपर बी.एड्. प्रकरण पर लगाये गये आरोपों एवं श्री देवजी भाई पटेल, के पत्र पर विचार किया गया।

निर्णय : के.डी. कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के ऊपर बी.एड्. पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी लगाये गये आरोपों से संबंधित प्रकरण पर कार्यपरिषद् में चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि यदि कॉलेज प्रबंधकों के पास कोई प्रमाण हो तो विश्वविद्यालय में 15 दिवस में जमा करें ताकि आरोपों की जाँच करायी जा सके तथा प्रकरण की जाँच में आरोप गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय और आवश्यकता होने पर मानहानि का दावा भी कराया जाय।

6. बायोटेक्नालॉजी विभाग के देयक रू. 7,91,319/– का भुगतान एवं बाद में बाकी 10 प्रतिशत रू. 87,924/– कार्यपूर्ण होने के पश्चात् भुगतान किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णय : मान्य किया गया।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 7497 /अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 22 /09/2009

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/आन्तरिक अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (अका.)